

10. सक्षम अधिकारी (DDO) द्वारा जारी किया गया अभिभावक का सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र। यदि पंजीकरण फॉर्म में अभिभावक ने सरकारी सेवा की श्रेणी (CATEGORY-1/2/3/4) भरी हो।
11. सक्षम अधिकारी (DDO) द्वारा जारी किया गया अभिभावक का नवीनतम वेतन प्रमाण पत्र।
12. अभिभावक के पिछले सात वर्ष की अवधि में हुए स्थानांतरण के आदेश की प्रति। यदि पंजीकरण फॉर्म में स्थानांतरण भरा हो।
13. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बच्चे की विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र। यदि पंजीकरण फॉर्म में दिव्यांग श्रेणी में हाँ भरा हो।
14. प्रवेश के समय अभिभावक के साथ बच्चे का उपस्थित होना अनिवार्य हैं।
15. प्रवेश फीस अभिभावक द्वारा विद्यालय से चालान प्राप्त कर यूनियन बैंक ऑफ़ बांसवाडा शाखा नयी आबादी में जाकर जमा करने के बाद उसकी विद्यालय प्रति कक्षाध्यापक को जमा करने पर ही प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। फीस जमा न कराने पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
16. एकल कन्या श्रेणी (SGC) में प्रवेश हेतु अभिभावक को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल (kvsonlineadmission.in) पर उपलब्ध proforma document samples में SGC के वांछित प्रारूप में टाइप व नोटेरी करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज में यदि विसंगति अथवा गलत सूचना पायी जाती हैं तो प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा व इसके लिए अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
18. यदि कोई सीट रिक्त रहती है तब प्रवेश की प्रतीक्षा सूची के आधार पर प्रवेश दिनांक 10.04.2019 के पश्चात् दिया जायेगा ।

प्राचार्य